न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / एल.आर. / 7481 / 2006 / बांसवाड़ा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिरजी पिता फता भील, निवासी मोटापाड़ा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्री नाथूलाल पिता नन्दलाल ब्राहम्ण, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
3. श्री रतनलाल पिता नन्दलाल ब्राहम्ण, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
4. श्री जगदीश पिता नन्दलाल ब्राहम्ण, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
5. श्री रमेशचंद पिता नन्दलाल ब्राहम्ण, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
6. श्रीमती हेमलता बेवा मोहनलाल ब्राहम्ण, निवासी डूंगरा छोटा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।

—— अप्रार्थीगण।

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :—
(1) श्री एस.के. शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(2) अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक : 23 अप्रैल, 2012

प्रस्तुत रेफरेंस धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 25 / 2006 में पारित आदेश दिनांक 18—8—2006 के संदर्भ में पेश हुआ हैं।

2— रेफरेंस के सारगर्भित एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने अवगत कराया कि राजस्व ग्राम मोटा पाड़ा, तहसील कुशलगढ़ की भू प्रबंध विभाग खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 के मुताबिक क्रम संख्या 138, खाता

संख्या 122/8 में सर्वे नम्बर 56 रकबा 0.06 श्री नीलकण्ठ महादेवजी स्थान डूंगरा खुर्द के नाम से दर्ज होकर खुद काश्त श्री हिरजी वल्द फता भील साकिन देह खुद काश्तकार कृषक एवं नन्दलाल वल्द शिवराम ब्राहम्ण साकिन डूंगरा खुर्द पुजारी दर्ज था। रोटेशन जमाबंदी संवत् 2025–28 में उक्त सर्वे नम्बर 56 खाता संख्या 115 में हिरजी पिता फता भील का नाम बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध दर्ज कर दिया।

3– विवादित भूमि के मूल खातेदार (भू–धारक) श्री नीलकंठ महादेवजी स्थान डूंगरा खुर्द हैं व कृषक के रूप में हीरजी पिता फता भील एवं नन्दलाल पिता शिवराम ब्राहम्ण संवत् 2015 की खतौनी बंदोबस्त में स्पष्ट हैं, तत्पश्चात् उक्त भूमि हिरजी पिता फता भील के नाम दर्ज हुई हैं। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावें।

4– अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, परन्तु बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बहस प्रार्थी सुनी गई।

5– विद्धान् राजकीय अभिभाषक ने रेफरेंस के तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि संवत् 2015 की जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री नीलकंठ महादेवजी के नाम दर्ज थी। श्री हिरजी बतौर कृषक व श्री नन्दलाल बतौर पुजारी इस भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे थे, जिन्हें कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थें। कालांतर में मंदिर का नाम हटाकर गैर कानूनी तरीके से भूमि हिरजी पुत्र फता के नाम दर्ज कर दी गई, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 व धारा 46 के प्रावधानों के विरूद्ध हैं, क्योंकि मंदिर श्री नीलकंठ महादेवजी शाश्वत अवयस्क होने से मंदिर की भूमि किसी खातेदार काश्तकार के नाम हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में खसरा नं0 56 रकबा 0.06 हैक्टर हिरजी पिता फता के नाम खातेदार दर्ज हैं, जिसे निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि वापिस मंदिर नीलकंठ महादेवजी के नाम की जावें एवं हिरजी का नाम रिकार्ड से हटाया जावें।

6– हमने बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा कानून का अध्ययन एवं विश्लेषण किया।

7– निर्विवाद रूप से भू प्रबंध विभाग खतौनी बंदोबस्त (जमाबंदी) संवत् 2015, ग्राम मोटा पाड़ा, तहसील कुशलगढ़ में खाता नं0 122/8 कॉलम संख्या 3, जो नाम भोक्ता का कॉलम हैं, में श्री नीलकण्ठ महादेवजी स्थान डूंगरा खुर्द ब.खा. व कृषक के कॉलम संख्या 5 में हिरजी वल्द फता भील सा.देह खा, नन्दलाल वल्द शिवराम ब्राहम्ण सा. डूंगरा खुर्द के नाम खसरा नं0 56 की 0.06 भूमि दर्ज हैं। संवत् 2017 से 2020 की जमाबंदी, ग्राम मोटापाड़ा की खतौनी संख्या 122/8 में भूमि

अधिकारी के कॉलम संख्या 4 में ब0श0 122 / 1 व नाम कृषक के कॉलम 5 में हिरजी पिता फता भील सा0देह खा0 व नन्दराम पिता शिवराम ब्राह0 सा0 डूंगरा खुर्द ख0नं0 56 की 0.06 भूमि का अंकन हैं। जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में खाता नंम्बर 115 हिरजी का हैं, जिसमें उनके खाते की 11 खसरों की भूमियां दर्ज हैं एवं उस योग के बाद खसरा नं0 56 रकबा 0.06 के लाईन में "माफी रिज्यूम्ड" व "माफी रिज्यूम्ड होने से सदर नम्बर 56 खाता नम्बर 148 से आया" का अंकन हैं। जमाबंदी 2061 से 2064 में भूमि खसरा नं0 56 रकबा 0.06 हीरजी पिता फता भील के खाते में दर्ज हैं।

8— विद्धान् तहसीलदार ने इन दस्तावेजों के आधार पर रेफरेंस बनाकर जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को भेजा। अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने अप्रार्थीगण को नोटिस देते हुए प्रकरण की सुनवाई कर अद्योलिखित मत के साथ रेफरेंस राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया :—

"हमने पत्रावली का गहनता से ध्ययन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित भूमि के मूल खातेदारी (भू—धारक) श्री नीलकंठ महादेवजी स्थान डूंगरा खुर्द हैं, तथा कृषक के रूप में हीरजी पिता फता सा.देह खा. एवं नन्दलाल पिता शिवराम ब्राहम्ण सा0 डूंगरा खुर्द हैं, जैसा कि संवत् 2015 की खतौनी बंदोबस्त से स्पष्ट हैं। तत्पश्चात् उक्त भूमि हीरजी पिता फता भील के नाम दर्ज हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र रेफरेंस तहसीलदार, कुशलगढ़ स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अग्रेषित किया जाता हैं।"

9— संवत् 2015 से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं अतः यह माना जाना चाहिए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के दिन विवादग्रस्त भूमि की यही स्थिति रही होगी। संवत् 2025 से 2028 की जमाबंदी में खसरा विशेष 56 की पंक्ति के आगे व पीछे "माफी रिज्यूम्ड" का अंकन आया हैं, उससे तो यही प्रतीत होता हैं कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री नीलकंठ महादेवजी की माफी की थी।

10— संवत् 2015, संवत् 2017 से 2020 के कॉलम संख्या 5, जो कि कृषक का कॉलम हैं, में हिरजी पिता फता भील बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं। कॉलम नं0 3, जिसमें मंदिर नीलकंठ महादेवजी भोक्ता के रूप में दर्ज हैं, माफी अधिग्रहित होने पर मंदिर के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित हो गया। इस प्रकार धारा 15, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 8, 9 व 10 के अनुसार कृषक हिरजी पिता फता स्वतः ही खातेदार—काश्तकार हो गये। राजस्थान सरकार द्वारा

जारी परिपत्र क्रमांकः 4–3 (2) राज–6 / 2007 / 44 दिनांक 24–5–2007 तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र 6 जनवरी, 2010 का भी यही आशय हैं, परिपत्र का सार यह हैं :–

"माफी मंदिर की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24–5–2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि, जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

अतः उक्त निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता हैं कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः 4–3 (2) राज. 6 / 2007 / 44 दिनांक 24–5–2007 का गहनता से अवलोकन करावें एवं विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण वदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित् करावें।"

11– हस्तगत प्रकरण में भी हिरजी को बतौर कृषक उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरीय अधिकार प्राप्त थे, जो संवत् 2061 से 2064 तक रिकार्ड में आये हैं।

12– अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 हिरजी ने विस्तार से जवाब पेश किया हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कथन किया कि राज्य सरकार ने 46 वर्ष बाद रेफरेंस की कार्यवाही की हैं। इन 46 वर्षों में अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि को काबिल काश्त तैयार किया, जिसमें समय, श्रम व धन व्यय कर परिवार की आजीविका के उपयोग में ली जा रही हैं। इतने लम्बे समय तक सरकार द्वारा कार्यवाही न करना एवं फिर भूमि से बिल्कुल ही बेदखल कर खातेदारी खत्म कर देना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत हैं एवं रेफरेंस चलने योग्य नहीं हैं।

13– 2006 (I) आर.आर.टी. 99 (एच.सी.) तथा 1996 डी. एन.जे. (राज.) 100 के उद्धरण पेश कर बताया गया कि जब किसी कार्यवाही के लिए परिसीमा काल का उल्लेख नहीं हो तो क्या धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 व धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को कभी भी इन शक्तियों का उपयोग करने की अनिश्चित् काल की छूट दी जा सकती हैं। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रवृति पर बंदिश लगाते हुए स्पष्ट किया कि जहां पर दुर्भावानापूर्ण कार्यवाही व फर्जकारी तथा धोखाधड़ी का मामला नहीं हो, वहां युक्तियुक्त समय में ही कार्यवाही की जानी चाहिए। दोनों प्रकरणों

में 35 वर्ष व 25 वर्ष से देरी से की गई रेफरेंस की स्वीकृति को खारिज किया गया।

14— हस्तगत प्रकरण में तो राजस्व रिकार्ड की शुरूआती दिनों से ही अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज हैं, इसलिए इसमें कोई कार्यवाही व धोखाधड़ीपूर्ण कार्यवाही की संभावना नहीं हैं।

15— अन्य अप्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में पत्र प्रेषित कर अवगत करया कि उनका हस्तगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं व न ही उनका कोई उज्र हैं। न्यायालय का निर्णय उन्हें मान्य होगा।

16— उक्त तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि विद्वान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा प्रेषित रेफरेंस आधारहीन व विरूद्ध कानून पेश किया गया हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः रेफरेंस खारिज किया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य